न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 35/प्रा.पत्र/2025 (GCMS No. 2025/128)	15.09.2025	25.11.2025

अब्दुल सत्तार पुत्र श्री पीर मोहम्मद,
निवासी कालेशा बाबा के पीछे, किशोरपुरा कोटा।

– प्रार्थी

बनाम

1. रमेश कुमार गोचर पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर,
   निवासी नन्दगांव हाल निवासी देई दुर्गेश डेयरी, देई
   तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.)
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार नैनवां, जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री राकेश श्रृंगी, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां में विचाराधीन प्रकरण संख्या 28/दावा/2025 मय प्रार्थना पत्र 25/2025 बउनवान अब्दुल सत्तार बनाम रमेश कुमार वगै. को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 35/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/128 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी तलब की गयी। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.11.25 को अप्रार्थी सं. 1 को जी रजिस्टर्ड नोटिस की डिलिवरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, अप्रार्थी सं. 1 के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुऐ अपने तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थी एक वरिष्ठ एवं शान्तिप्रिय नागरिक है तथा काश्तकार परिवार का सदस्य है। प्रार्थी के परिवार की आय का मुख्य जरिया काश्त ही रहा है। प्रार्थी के पिता स्व.श्री पीर मोहम्मद पुत्र मौलाबक्श के नाम से भूमि खसरा सं. 94 प्रार्थी के भूतपूर्व सैनिक होने के कारण प्रार्थी के सेवा परिलाभ में आवंटित की गई थी। जिस पर प्रार्थी के पिता जीवनपर्यन्त काबिज काश्त रहे और उनके निधन के पश्चात सभी पांचों उत्तराधिकारियों के नाम विरासत का नामांतरकरण दर्ज होकर काबिज काश्त रहे है। वर्तमान में प्रार्थी अपनी 4/5 पैतृक हिस्सेदारी की भूमि खसरा नं. 94/2 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार होकर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के सहखातेदार छोटे भाई अब्दुल गफ्फार का उक्त संयुक्त खाते की आराजी खसरा सं. 94/2 में 1/5 हिस्सा निहित था। जिनके मध्य कभी किसी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ था तथा दोनों आपसी सहमति के आधार पर उक्त भूमि में निहित अपने अपने भागों पर पृथक पृथक काश्त कर अपनी गुजर बसर करते चले आ रहे थे। प्रार्थी के सहखातेदार अब्दुल गफ्फार द्वारा उसके हिस्से की 1/5 भूमि जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.10.2024 से एक अपरिचित केता अप्रार्थी सं.1 को विक्रय कर दी गई, जिस पर केता के द्वारा अपने नाम नामांतकरण दर्ज करवा लिया गया। अन्जान व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी ने विधिवत रूप से बटंवारा करने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थी सं.1 द्वारा प्रार्थी को धमकी देकर विवाद करते हुये बटंवारा करने से इन्कार कर दिया गया। इसके बाद प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं.1 की मंशा भापते हुये हल्का पटवारी व तहसील नैनवां में सम्पर्क कर बटवारा कर खाता पृथक पृथक करने को कहा गया, परन्तु निरंतर चक्कर काटने पर भी हल्का पटवारी द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया बल्कि हल्का पटवारी ने हमारे हिस्से की जमीन अप्रार्थी सं.1 को बेच देने की बात कही। साथ ही भूमि पेट्रोल पम्प के पास एवं मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा स्वयं व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की नियत से प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये प्रार्थी के विरूद्ध साक्ष्य गठित करने का प्रयास शुरू कर

जिला कलेक्टर, बून्दी

दिये गये। उक्त आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने व तहसील नैनवां से किसी प्रकार की सहायता न मिलने पर प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक वाद संख्या 28/2025 वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 25/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के समक्ष समस्त परिस्थिति रखने के बावजूद भी उक्त वाद पर तुरन्त विधिवत सुनवाई नहीं की गई बल्कि तामील भी नहीं हो सकी और विभागीय कर्मचारियों से मिलीभगत के चलते प्रतिपक्षीगण को सूचना होने पर उनके प्रभाव से न्यायालय में लम्बी लम्बी पेशियां प्रदान की जा रही है। जिससे वाद को विलम्बित किया जा सके और प्रतिपक्षीगण मिलीभगत कर प्रार्थी को बेदखल कर देंगे। उक्त स्थिति के कारण प्रार्थी ने माननीय संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.042025 व 28.05.2025 को तहसीलदार नैनवां को पत्र प्रेषित कर अविलम्ब कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया, परन्तु आज तक उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि हल्का पटवारी के द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में मौके पर रिपोर्ट में प्रार्थी को कब्जा काश्त न होना और मौके पर विपरीत प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर अन्य का कब्जा दर्शाने हेतु रिपोर्ट तैयार की है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद का निष्पक्ष व न्याय पूर्ण निस्तारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां में होना संभव नहीं है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी के व्यवहार एवं कार्यप्रणाली पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है, बल्कि हल्का पटवारी एवं तहसील नैनवां में कोई सुनवाई नही होने के आधार पर लम्बित वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की गई है। न्यायालय द्वारा लम्बी लम्बी तारीख पेशियां प्रदान किये जाने की आपत्ति भी प्रकट की गई किन्तु उक्त प्रकरण उक्त न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को दायर होने के बाद प्रतिवादीगण की तामील की प्रक्रिया के दौरान ही प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2025 को इस न्यायालय में दायर कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रतिवादीगण की मिलीभगत की काल्पनिक धारणा बनाकर उक्त वाद की कार्यवाही की शुरूआत में ही यह प्रार्थना पत्र यहां प्रस्तुत किया गया है, जो वाद अन्तरण के संबंध में बिना ठोस आधार के खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में तलब की गई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां में विचाराधीन पत्रावली सं. 28/दावा/2025 मय 25/प्रा.पत्र/2025 की आदेशिका का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किये जाने हेतु प्रथम तारीख पेशी दिनांक 20.06.2025 नियत की गई, तत्पश्चात पत्रावली इंतजार तलबी रिपोर्ट में दिनांक 11.07.2025 को द्वितीय तारीख पेशी में रखी गई। उक्त तिथि को पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित होने से तृतीय तारीख पेशी दिनांक 13.10.2025 नियत की गई। इस प्रकार उक्त पत्रावली पर कुल 03 तारीख पेशियां नियत किया जाना प्रकट है। पत्रावली पर वर्तमान में इंतजार तलबी रिपोर्ट की स्टेज पर विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के साथ न्याय नहीं किया जावेगा, वाद के शुरूआत में ही बिना कोई आधार के प्रार्थी की ऐसी आशंका मात्र से ही उपखण्ड अधिकारी नैनवां के न्यायालय में विचाराधीन वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का उपखण्ड नैनवां से अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। साथ ही न्यायहित को मद्देनजर रखते हुये उपखण्ड अधिकारी नैनवां को हिदायत दी जाती है कि उनके न्यायालय में लम्बित अन्य पत्रावलियों के समरूप ही तारीख पेशियां नियत की जाकर वादग्रस्त प्रकरण सं. 28/दावा/2025 की शीघ्र सुनवाई की जावे तथा प्रार्थना पत्र संख्या 25/2025 को प्रतिवादीगण की तामील होते ही बाद सुनवाई उभयपक्षकारान स्वीकार/अस्वीकार कर निर्णीत किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस लौटाई जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी